इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2015—माघ 10, शक 1936

वित्त विभाग

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. 591-522-2013-आनीविई-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ के खण्ड (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 97/522/2013/आनीविई/चार, दिनांक 31 जनवरी, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (1) संशोधन क्रमांक 1 में शब्द तथा अंक ''31 जनवरी, 2015'' के स्थान पर शब्द तथा अंक ''31 जनवरी 2016'' स्थापित किया जाये.
- (2) संशोधन क्रमांक 2 में शब्द तथा अंक ''31 जनवरी 2015'' के स्थान पर शब्द तथा अंक ''31 जनवरी 2016'' स्थापित किया जाये.

No.591-522-2013-EPAU-VI.—In pursuance of the provisions of clause (1) of Article 243-1 of the constitution of India read with Section 3 of Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the department Notification No. 97/522/2013/EPAU/IV, Dated 31st January, 2014, Namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification,—

- (1) Amendment in Serial No. 1 of the Notification for the words and figure "31st January, 2015" the words and figures "31st January, 2016" shall be substituted.
- (2) Amendment in Serial No. 2 of the Notification for the words and figure "31st January, 2015" the words and figures "31st January, 2016" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी, सचिव.